सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय
लोरडी पण्डितजी, जोधपुर (राज.)–**342037**
E-mail: registrar@policeuniversity.ac.in **Website:** www.policeuniversity.ac.in

Ref. No. F.2(1)/SPUJ/2013/Admn&Estt/BOM-Vol.-VI/ 4132 **Dated:** 21/12/22

–: कार्यवाही विवरण :–

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध मण्डल की 16वीं बैठक, दिनांक **08 दिसम्बर, 2022** को दोपहर 12.30 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में, विश्वविद्यालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :–

1. श्री आलोक त्रिपाठी, माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, एसपीयूपी, जोधपुर
2. श्रीमती सीमा कुमार, संयुक्त शासन सचिव, गृह
   (प्रतिनिधिः अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान) – ऑनलाइन भाग लिया
3. श्री दिनेश कुमार, कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर
   (प्रतिनिधिः अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान)
4. डॉ. रेणु कोहली,सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जोधपुर डिवीजन
   (प्रतिनिधिः अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्चशिक्षा , राजस्थान)
5. श्री रवि दत्त, आई.पी.एस., पुलिस आयुक्त, जोधपुर,
   (प्रतिनिधि : महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर)
6. श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, पूर्व महानिदेशक पुलिस, राजस्थान – ऑनलाइन भाग लिया
7. डॉ. ए.के. गहलोत, पूर्व कुलपति, RAJUVAS, बीकानेर
8. प्रो. एस.एस. टाक, प्रोफेसर (से.नि.), जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
9. प्रो. (डॉ.) राम सिंह मीणा, सदस्य, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
   एवं सह आचार्य, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
10. श्रीमती श्वेता चौहान, आई.ए.एस., कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, एसपीयूपी, जोधपुर

बैठक में निम्न सदस्य अनुपस्थित रहे :–

1. श्री लक्ष्मण मीणा, माननीय विधायक, बस्सी
2. श्री रूपाराम, माननीय विधायक, जैसलमेर
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
4. प्रो. शान्तनु चौधरी, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
5. प्रो. पूनम सक्सेना, कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा सदस्यों की अनुमति उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक में एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श कर, निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

बिन्दु संख्या–16/1		**विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की 15वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**
निर्णय–16/1	:	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
बिन्दु संख्या–16/2	:	**विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2022 के कार्यवाही विवरण के अनुसार की गई अनुपालना का विवरण।**
निर्णय–16/2	:	विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की 15वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2022 में लिये गये निर्णयानुसार अनुपालना प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 15/1, 15/2, 15/4, इत्यादि में 'कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है' अंकित है, के संबंध में प्रो. एस.एस. टाक, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि अनुपालना प्रतिवेदन में कृत कार्यवाही विवरण एवं जारी आदेश प्रतियां प्रबंध बोर्ड के समक्ष रखी जानी चाहिये। इसके साथ ही अनुपालना प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 15/9 में यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों की प्रगति/गतिविधियों के संबंध में रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष रखी जाए। प्रो. एस.एस. टाक, माननीय सदस्य ने अनुपालना प्रतिवेदन संख्या 15/10 के संबंध में बैठक में बताया कि विश्वविद्यालय का 2.00 करोड रूपयों के गबन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रमुख सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र (D.O. letter) भिजवाया जाना चाहिये। माननीय कुलपति महोदय ने आश्वस्त किया कि उपरोक्त रिपोर्ट अगली प्रबंध मण्डल बैठक में प्रस्तुत की जायेगी। तदुपरांत प्रबंध बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2022 के शेष कार्यवाही विवरणानुसार अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

बिन्दु संख्या–16 / 3	:	**विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 05 अगस्त, 2022 के कार्यवाही विवरण पर विचार।**
निर्णय–16 / 3	:	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 05 अगस्त, 2022 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 18 / 4 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में फीस वृद्धि के संबंध में प्रो. एस.एस. टाक, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि अकादमिक परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण एजेण्डा सहित रखे जायें। प्रो. ए.के. गहलोत, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि अकादमिक परिषद के कार्यवाही विवरण विस्तृत होने चाहिये। कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 18 / 5 छात्रावास फीस के संशोधन के संबंध में प्रो. एस.एस. टाक, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि छात्रावास फीस की वृद्धि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है, इस पर माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में बताया कि बढोत्तरी की गई छात्रावास फीस नये सत्र से लागू होगी। माननीय कुलपति महोदय द्वारा सुझावों पर भविष्य में अमल में लाने हेतु आश्वासन दिया। तदुपरान्त प्रबंध बोर्ड द्वारा विद्या परिषद् के कार्यवाही विवरण को अभिलिखित किया गया।
बिन्दु संख्या–16 / 4	:	**आचार्य एवं सह–आचार्य की भर्ती हेतु रोस्टर निर्धारण के लिए समिति के गठन पर विचार।**
निर्णय–16 / 4	:	आचार्य एवं सह–आचार्य की भर्ती हेतु रोस्टर निर्धारण के लिए समिति के गठन के संबंध में बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित कमेटी का गठन किया गया :– 1. प्रो. (डॉ.) राम सिंह मीणा, सदस्य, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं सह आचार्य, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को कमेटी का अध्यक्ष 2. सदस्य (महिला) – कुलपति द्वारा नामित 3. सदस्य (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति)– कुलपति द्वारा नामित

बिन्दु संख्या–16/5	:	**विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों को उपादान (Gratuity) प्रदान करने हेतु निधि (Fund) निर्माण का अनुमोदन।**
निर्णय–16/5	:	प्रो. एस.एस. टाक, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों को उपादान (Gratuity) प्रदान करने हेतु एकमुश्त राशि द्वारा कॉर्पस फण्ड (Corpus Fund) बनाया जाये, तथा उसमें प्रति वर्ष के हिसाब से कार्मिकों को देय ग्रेच्युटि की गणना कर उसमें प्रतिवर्ष फण्ड जमा कराया जाना चाहिये, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। ग्रेच्युटि के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के प्रस्ताव को बैठक में सर्वसम्मति से अस्वीकार किया गया।
बिन्दु संख्या–16/6	:	**विश्वविद्यालय हेतु आवश्यक नवीन पदों के सृजन का प्रस्ताव, राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।**
निर्णय–16/6	:	प्रो. एस.एस. टाक, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय में विद्यमान पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाये एवं विश्वविद्यालय हेतु आवश्यक नवीन पदों के सृजन का प्रस्ताव को राज्य सरकार को भिजवाया जाये। विश्वविद्यालय हेतु आवश्यक नवीन पदों के सृजन का प्रस्ताव, राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
बिन्दु संख्या–16/7	:	**विश्वविद्यालय 05 कार्मिकों द्वारा 09 वर्ष की नियमित सेवा संन्तोषजनक पूर्ण करने के फलस्वरूप प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ACP) प्रदान किये जाने की सूचना।**
निर्णय–16/7	:	बैठक में समस्त सदस्यों द्वारा 'नोटेड' किया गया।
बिन्दु संख्या–16/8	:	**विश्वविद्यालय में अनुबंध के आधार पर लगाये जाने वाले व्यक्तियों हेतु Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 को लागू किये जाने पर विचार।**
निर्णय–16/8	:	विश्वविद्यालय में अनुबंध के आधार पर लगाये जाने वाले व्यक्तियों हेतु Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 को लागू किये जाने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

बिन्दु संख्या–16/9	:	**राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड (RFSDL) द्वारा सेवा शुल्क के आधार पर विश्वविद्यालय में विभिन्न सेवाओं के उपयोग हेतु प्रकरण पर विचार एवं अनुमोदन।**
निर्णय–16/9	:	राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड (RFSDL) द्वारा सेवा शुल्क के आधार पर विश्वविद्यालय में विभिन्न सेवाओं के उपयोग हेतु प्रकरण का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।
बिन्दु संख्या–16/10	:	**डॉ. विजयसिंह, सहायक आचार्य के निलम्बन की सूचना।**
निर्णय–16/10	:	डॉ. विजय सिंह के विरूद्ध दर्ज दोनों एफआईआर एवं जांचों के संबंध में उन्हें निलम्बित किये जाने की सूचना प्रस्तुत की गई, जिसे समस्त माननीय सदस्यों द्वारा 'नोटेड' किया गया।
बिन्दु संख्या–16/11		**वि.वि. में कार्यरत सहायक आचार्यो को CAS के तहत पदोन्नति (स्टेज–1 से स्टेज–2) की सिफारिशों को प्रबंध बोर्ड के समक्ष लिफाफें खोले जाने के प्रकरण पर विचार एवं अनुमोदन ।**
निर्णय–16/11		वि.वि. में कार्यरत सहायक आचार्यों को CAS के तहत पदोन्नति (स्टेज–1 से स्टेज–2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के रेग्युलेशन नं. एफ.1–2/2017 दिनांक 18 जुलाई, 2018 के अन्तर्गत स्क्रीनिंग कम एवेल्यूशन कमेटी की सिफारिशों के लिफाफें प्रबंध बोर्ड के समस्त माननीय सदस्यों की सहमति से बोर्ड के समक्ष खोले गये, जिसका विवरण निम्नानुसार है :– 1. **<u>Dapartment of Computer Science and Engineering</u>** (i) Dr. Vikas Sihag - Stage-I to Stage-II - w.e.f. 26.12.2018 (ii) Lt. Arjun Choudhary- Stage-I to Stage-II - w.e.f. 09.01.2019 2. **<u>Dapartment of Sociology</u>** (i) Dr. Kanika Panwar - Stage-I to Stage-II - w.e.f. 18.07.2018 3. **<u>Dapartment of International Affairs & Security Studies</u>** (i) Dr. Vinay Kaura - Stage-I to Stage-II - w.e.f. 18.07.2018 (ii) Dr. Surabhi Gupta - Stage-I to Stage-II - w.e.f. 13.09.2019 4. **<u>Dapartment of Language and Communication</u>** (i) Dr. Jagriti Upadhyaya-Stage-I to Stage-II - w.e.f. 18.07.2018 5. **<u>Dapartment of Psychology</u>** (i) Dr. Abhishek Sharma-Stage-I to Stage-II - w.e.f. 18.07.2018 6. **<u>Dapartment of Law</u>** (i)Dr. Mithilesh Narayan Bhatt-Stage-I to Stage-II - w.e.f. 18.07.2018 (ii) Dr.Meenakshi Punia -Stage-I to Stage-II - w.e.f. 17.09.2018

7. **Dapartment of Mathametics**

   (i) Dr. S.K. Pandey -Stage-I to Stage-II - w.e.f. 18.07.2018

8. **Dapartment of History**

   (i) Dr. Sadhana Meghwal **: Not eligible for award of stage-II. As she has not completed orientation course after appointment as Asst. Professor i.e. 05.01.2014, Which is mandatory.**

9. **Dapartment of Criminology and Police Studies**

   (i) Dr. Rufus D. - Stage-I to Stage-II - w.e.f. 18.07.2018

   (ii) Dr. Swikar Lama - Stage-I to Stage-II - w.e.f. 18.07.2018

   (iii) Dr. Sheetal Arora - Stage-I to Stage-II - w.e.f. 10.03.2020

माननीय कुलपति द्वारा बोर्ड को बताया गया कि डॉ. विजय सिंह का CAS इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि वह निलम्बन (Suspension) में है।

प्रो. एस.एस. टाक, माननीय सदस्य ने CAS की प्रक्रिया पर डिस्सेंट नोट दिनांक 08.12.2022 लिखा गया, जो कि कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न है। उनके द्वारा आपत्ति दर्ज की गई कि CAS की कमेटी में डीन एवं विभागाध्यक्ष अन्य विश्वविद्यालय के हैं, जिन्हें इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना चाहिये था। सदन को माननीय कुलपति द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में डीन नियुक्त नहीं है तथा सभी सहायक आचार्य जिनके CAS पर विचारण होना था, उन्हें CAS प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता था। विश्वविद्यालय में आचार्य एवं सहआचार्य के सभी पद रिक्त हैं जबकि यू.जी.सी. नियम 2018 में प्रतिपारित नियम के सेक्शन 5.1 (X) के अनुसार चयन समिति में कुलपति (अध्यक्ष), डीन, विभागाध्यक्ष एवं एक विषय विशेषज्ञ कुल 04 सदस्य होने चाहिये।

राज्य सरकार द्वारा CAS प्रक्रिया यू.जी.सी. 2018 के नियमों के अनुसार किये जाने की अनुमति प्राप्त हुई थी। अतः उक्त की पालना में अन्य विश्वविद्यालय से डीन तथा विभागाध्यक्ष (मात्र CAS प्रक्रिया हेतु) समिति में नामित किये गये।

प्रो. एस.एस. टाक द्वारा कहा गया कि कुलपति को मात्र विषय विशेषज्ञ को बुलाकर दो सदस्यों के कॉरम से CAS प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिये थी। (हालांकि यू.जी.सी. 2018 के नियमों के तहत तीन सदस्यों का कॉरम आवश्यक है।)

श्री दिनेश कुमार, कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर (प्रतिनिधि– अतिरिक्त

		मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान) द्वारा कहा गया कि अगर जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह नियमानुसार है तथा कुलपति महोदय अन्य विश्वविद्यालय से सदस्य नामित करने हेतु अधिकृत है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अन्यथा उनकी भी डिस्सेंट है। उनके द्वारा कोई डिस्सेंट लिखित में प्रस्तुत नहीं किया गया। माननीय कुलपति महोदय एवं अन्य समस्त सदस्यगणों ने वि.वि. में कार्यरत सहायक आचार्यो को CAS के तहत पदोन्नति (स्टेज–1 से स्टेज–2) की सिफारिशों पर सहमति जाहिर की। वि.वि. में कार्यरत सहायक आचार्यो को CAS के तहत पदोन्नति (स्टेज–1 से स्टेज–2) की सिफारिशों को बैठक में बहुमत से अनुमोदित किया गया।
बिन्दु संख्या–16/12		**विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा पूर्ववर्ती सेवाओं को CAS में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये सामूहिक प्रतिनिधित्व के प्रकरण एवं इस संबंध में समिति गठन पर विचार।**
निर्णय–16/12		विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा पूर्ववर्ती सेवाओं को CAS में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये सामूहिक प्रतिनिधित्व के प्रकरण के संबंध में सर्वसम्मति से डॉ. ए.के. गहलोत की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किये जाने की अनुशंषा की एवं सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।
बिन्दु संख्या–16/13		**NFSU के ऑफ केम्पस हेतु राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप 14.93 एकड़ जमीन के आवंटन का अनुमोदन।**
निर्णय–16/13		NFSU के ऑफ केम्पस हेतु राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप 14.93 एकड जमीन के आवंटन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
बिन्दु संख्या–16/14		**अतिथि संकाय सदस्यों का मानदेय बढाने पर विचार एवं अनुमोदन।**
निर्णय–16/14		अतिथि संकाय सदस्यों का मानदेय रू. 500 से रू. 800 करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–16/15		**विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा–28(1)(एफ) के प्रावधानान्तर्गत वित्त समिति में प्रबंध बोर्ड द्वारा प्रबंध बोर्ड के एक अशासकीय सदस्य के नामनिर्देशन पर विचार।**
निर्णय–16/15		विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा–28(1)(एफ) के प्रावधानान्तर्गत वित्त समिति में प्रबंध बोर्ड द्वारा प्रबंध बोर्ड के एक अशासकीय सदस्य के नामनिर्देशन के संबंध में बैठक में सर्वसम्मति से प्रो. एस.एस. टाक के नाम का अनुमोदन किया गया।
टेबल एजेण्डा 16/1		**विश्वविद्यालय में विद्या सम्बल योजना के अंतर्गत अध्यापन कार्य करवाने के लिए गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने हेतु प्रकरण का अनुमोदन।**
निर्णय – टेबल एजेण्डा 16/1		विश्वविद्यालय में विद्या सम्बल योजना के अंतर्गत अध्यापन कार्य करवाने के लिए गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने हेतु प्रकरण का बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव,
एसपीयूपी, जोधपुर

Note of Dissent on Item No. 11 of Agenda of BOM meeting held on 8.12.22.

The recommendations presented have signature of four persons. of which two are for Dean of the faculty and Head of department. To the best of my knowledge the persons who have signed these recommendations as Dean of faculty and Head of Department are not the Dean and Head of Department of Sardar Patel Police, Security and Criminal Justice Jodhpur. Therefore the selection Committee has not been constituted as per law.

Shyam Tak
08.12.2022.
(Dr. S. S. Tak)
Member BOM.